

## अनुक्रमणिका

विवरण	परिच्छेद	पृष्ठ संख्या
प्रस्तावना		iii
विहंगावलोकन		v
<b>भाग-क</b> <b>पंचायती राज संस्थाएं</b>		
<b>अध्याय-1</b> <b>पंचायती राज संस्थाओं की रूपरेखा</b>		
पंचायती राज संस्थाओं की पृष्ठभूमि	1.1	1
नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का लेखापरीक्षा अधिदेश	1.2	1
पंचायती राज संस्थाओं का संगठनात्मक ढांचा	1.3	1
वित्तीय रूपरेखा	1.4	3
पंचायती राज संस्थाओं में लेखा प्रणाली	1.5	5
पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय रिपोर्टिंग और उत्तरदायित्व की रूपरेखा (आंतरिक नियंत्रण प्रणाली)	1.6	5
पंचायती राज संस्थाओं की प्राथमिक एवं आंतरिक लेखापरीक्षा	1.7	6
तकनीकी मार्गदर्शन एवं सहायता	1.8	6
लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र	1.9	7
अनुपालना हेतु लम्बित निरीक्षण प्रतिवेदन और लेखापरीक्षा परिच्छेद	1.10	7
<b>अध्याय-2</b> <b>पंचायती राज संस्थाओं की लेखापरीक्षा का परिणाम</b>		
लेखा-पद्धति	2.1	9
राजस्व	2.2	11
निधियों का अवरोधन	2.3	12
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के अंतर्गत वेतन का संदेहास्पद/दो बार भुगतान	2.4	16
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा योजना) के अन्तर्गत मजदूरियों की अवमुक्ति में विलम्ब	2.5	16
संदेहास्पद व्यय	2.6	17
अस्थायी अग्रिमों का गैर-समायोजन	2.7	17
<b>भाग-ख</b> <b>शहरी स्थानीय निकाय</b>		
<b>अध्याय-3</b> <b>शहरी स्थानीय निकायों की रूपरेखा</b>		
पृष्ठभूमि	3.1	19
लेखापरीक्षा अधिदेश	3.2	19
शहरी स्थानीय निकायों का संगठनात्मक ढांचा	3.3	19
वित्तीय रूपरेखा	3.4	20
शहरी स्थानीय निकायों का वित्तीय विवरण एवं लेखांकन ढांचा (आंतरिक नियंत्रण प्रणाली)	3.5	21
शहरी स्थानीय निकायों की प्राथमिक तथा आंतरिक लेखापरीक्षा	3.6	22

तकनीकी मार्गदर्शन एवं सहायता	3.7	22
लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र	3.8	23
अनुपालन हेतु लम्बित लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ	3.9	23

#### अध्याय-4

#### शहरी स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा के परिणाम

लेखाकरण पद्धति	4.1	25
बजट आकलन	4.2	25
बैंक मिलान विवरणियाँ तैयार न करना	4.3	25
सामग्रियों का गैर-लेखाकरण	4.4	26
राजस्व	4.5	26
निधियों का अवरोधन	4.6	29
अस्थायी अग्रिमों का समायोजन न किया जाना	4.7	31

#### परिशिष्ट

विवरण	परिशिष्ट संख्या	पृष्ठ संख्या
संविधान को 11वाँ और 12वाँ अनुसूचियों में सूचीबद्ध कायेक्रमों का विवरण	1	33
पंचायती राज संस्थाओं को सौंपें गए 15 लाइन विभागों का व्यौरा	2	34
लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र 2016-17 के दौरान लेखापरीक्षित पंचायती राज संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकाय का विवरण	3	35
वर्ष 2015-16 के दौरान पंचायती राज संस्था सॉफ्ट में अपलोड की गई ग्राम-पंचायतें तथा नमूना-जांच द्वारा लेखापरीक्षित प्राप्ति आंकड़ों व व्यय के मध्य अंतर	4	39
पंचायती राज सॉफ्ट में रोकड़ बही का गैर अनुरक्षण तथा राष्ट्रीय सम्पत्ति निर्देशिका पर परिसम्पत्तियों का गैर रख-रखाव	5	42
पंचायती राज संस्थाओं द्वारा अभिलेखों का गैर-अनुरक्षण	6	44
पंचायती राज संस्थाओं द्वारा अभिलेखों का गैर-अनुरक्षण	7	46
भौतिक सत्यापन का गैर-संचालन	8	48
सम्बंधित ग्राम पंचायत द्वारा सामग्रियों के गैर-लेखांकन का व्यौरा	9	50
सम्बंधित ग्राम पंचायत द्वारा गृहकर की अवसूली का व्यौरा	10	51
दुकानों के बकाया किराए का व्यौरा	11	53
ग्राम पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत मोबाइल टावर के प्रतिष्ठापन/नवीनीकरण हेतु शुल्क की अवसूली का व्यौरा	12	54
निमोन कार्यों को आरम्भ न किए जाने के कारण निधियों के अवरोधन का व्यौरा	13	55
निमोन कार्यों की अपूर्णता के कारण निधियों के अवरोधन का व्यौरा	14	56
13वें वित्त आयोग के अंतर्गत निधियों के अवरोधन का व्यौरा	15	57
14वें वित्त आयोग के अंतर्गत निधियों के अवरोधन का व्यौरा	16	59
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामोन रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत भुगतानों को अवमुक्ति में विलम्ब का व्यौरा	17	61
2013-16 के दौरान शहरी स्थानीय निकायों के बजट प्रावक्कलन तथा वास्तविक व्यय की विवरणी	18	62
नगर पालिकाओं तथा नगर पंचायतों के सम्बंध में बकाया गृहकर का व्यौरा	19	65
2015-16 की अवधि के दौरान दुकानों/बूथों/स्टालों में किराए की अवसूली का व्यौरा	20	66
शहरी स्थानीय निकायों के क्षेत्र के अंतर्गत मोबाइल टावरों के प्रतिष्ठापन/नवीनीकरण हेतु शुल्क की अवसूली का व्यौरा	21	66
जनवरी 2017 तक अधिकारियों को दिए गए बकाया अग्रिमों के बयानों का व्यौरा, जिहें समायोजित या पुनर्निर्मित नहीं किया गया	22	68

## प्रस्तावना

31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष हेतु यह प्रतिवेदन नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कर्तव्य, शक्तियां व सेवा-शर्तें अधिनियम, 1971 की धारा 20(1) के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं एवं शहरी स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा हेतु तकनीकी मार्गदर्शन एवं सहायता के अनुरूप हिमाचल प्रदेश सरकार को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन में सम्बद्ध विभागों सहित पंचायती राज संस्थाओं एवं शहरी स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम निहित हैं।

वर्ष 2016-17 की अवधि की नमूना लेखापरीक्षा के दौरान तथा पूर्ववर्ती वर्षों में संज्ञान में आए लेकिन विगत प्रतिवेदनों में स्थान न पा सके प्रकरणों को भी यथावश्यक रूप से इस प्रतिवेदन में शामिल किया गया है।

यह लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा निर्गत लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप संचालित की गई है।

